संख्या 1694/सत्रह-वि-1-1-(क) 27/1993 लखनऊ : 30 दिसम्बर, 1993

अधिसूचना/विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993 पर दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता, (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 कहा जायेगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषायें.—इस अधिनियम में—

(क) "पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1989 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ख) "आश्रित" का तात्पर्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के—

(एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित), और

(दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहिता पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

(ग) "भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जितने भारतीय थलसेना, नौसेना या वायुसेना में किसी कोटि में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो और जो—

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवा निवृत्त हुआ है, या

(दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गयी है, या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप, अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या

(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है,

और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं—

(एक) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,

(दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति और

(तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

(घ) "स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और—

(एक) जिसने वीर गति प्राप्त की हो; या

(दो) जिसने कम से कम दो मास की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा हो; या

(तीन) जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिये निरुद्ध हुआ हो; या

(चार) जिसने कम से कम दस बेतों या दण्ड भोगा हो; या

(पाँच) जो गोली से घायल हुआ हो; या

(छः) जिसे फरार घोषित किया गया हो; या

(सात) जो 'पेशावर काण्ड' में रहा हो; या

(आठ) जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो, या

(नौ) जो इण्डिया इन्डिपेन्डेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो, या

(दस) जिसे गांधी-इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं समझा जायेगा जिसने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो।

(ङ) जो पूर्ण दृष्टि हीनता से ग्रस्त हो या जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के अन्तर से या उससे कम हो या जिसकी दृष्टि तीक्ष्णता चश्मे के साथ ठीक आंख में 6/60 या 20/200 (स्नेलिन) से अधिक न हो; या

(एक) जिसे जीवन के सामान्य प्रयोजन के लिये सुनने का बोध न हो या जिसकी ठीक कान में सुनने की क्षमता को क्षति 90 डेसिबल से अधिक हो या जो दोनों कानों से पूर्णरूप से न सुन सके, या

(दो) जिसे शारीरिक दोष हो या अंग विकृति हो जिससे कार्य करने में हड्डियों, पेशियों और जोड़ों के सामान्य कार्य करने में बाधा पड़ती हो;

(च) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

3. शारीरिक रूप से विकलांग आदि के पक्ष में रिक्तियों का आरक्षण.—(1) राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर रिक्तियों का पाँच प्रतिशत निम्नलिखित के पक्ष में आरक्षित होगा—

(एक) शारीरिक रूप से विकलांग,

(दो) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, और

(तीन) भूतपूर्व सैनिक।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों का अलग-अलग कोटा वह होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित आदेश द्वारा अवधारित करे।

(3) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा, जिनसे वे संबंधित हैं। उदाहरण के लिये यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित है जो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह पिछड़े वर्ग श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायेगा। इसी प्रकार यदि वह खुली प्रतियोगिता श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित श्रेणी में रखा जायेगा।

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भर्ती का वर्ष इकाई के रूप में लिया जायेगा न कि यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या :

परन्तु किसी भी समय आरक्षण, यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या में अपनी-अपनी श्रेणियों के लिए अवधारित कोटे से अधिक नहीं होगी।

(5) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों के लिये बिना भरे रहने पर उन्हें भर्ती के अगले वर्ष में अग्रनीत नहीं किया जायेगा।

4. कठिनाइयों को दूर करना.—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।

5- अपवाद.—इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो।

6- निरसन और अपवाद.—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग आदि के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 1993 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 1993 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से
एल०के० नारंग
सचिव।